संख्या-18/2015/1399/22-2-2014-17(129)/2014

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 फरवरी, 2015

विषय:- प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत मुक्त होने वाले सीमित सजा से दण्डित बन्दियों के प्रार्थना-पत्र (फार्म-ए)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-28862/पर-3,(एम-19-09-2014) दिनांक 07-10-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी **अखिलेश कुमार (बन्दी संख्या-4216) पुत्र श्री श्रीराम निवासी-ग्राम कोरमा, थाना-कलवारी, जिला-बस्ती के** फार्म-ए पर **यू0पी0** प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेंस पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गई है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भदवीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-18/2015/1399(1)/22-2-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -'

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-18/2015/1399/22-2-2014-17(129)/2014

दिनांक 11 फरवरी, 2015 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी **अखिलेश कुमार (बन्दी संख्या-4216) पुत्र श्री श्रीराम निवासी- ग्राम कोरमा, थाना कलवारी, जिला बस्ती** की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in